

**भवन समन्वय समिति
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की**

सं० सी०सी०बी०/५९५/पी-11 (चावल)

दिनांक: मार्च १०, 2025

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सी.सी.बी. द्वारा संचालित सभी भवन मैसों (आजाद, सरोजिनी एवं विज्ञान भवन) में दिनोंक 01.04.2025 से 31.05.2025 तक के लिए चावल की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र ।

फर्म का नाम व पता								
जी0एस0टी0 न0								
फूड लाइसेंस न0								
पैन न0								
मो0 न0								
ईमेल आईडी								
निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि		दि0 20 / 03 / 2025 (गुरुवार) को सांय 03—00 बजे तक						
निविदा खुलने की तिथि व समय		दि0 20 / 03 / 2025 (गुरुवार) को सांय 03—30 बजे						
निविदा जमा करने का स्थान		सी0सी0बी0 कार्यालय, मेन बिल्डिंग, आई0आई0टी0 रुड़की						
निविदा खुलने का स्थान		सरोजिनी भवन मैस						
क्र0 सं0	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	प्रति यूनिट	ब्रांड का नाम	दरें बिना जी. एस.टी. अंकों में	दर शब्दों में	जी.एस.टी. की दर	दरें जी.एस.टी. सहित अंकों में
1	चावल सेला सर्बती	113	प्रति कुन्तल					
2	चावल सेला बासमती	15	प्रति कुन्तल					
3	चावल मोटा	16	प्रति कुन्तल					

नोट:- 1.कृपया टेन्डर के साथ सैम्पल अवश्य दें। चावल का सैम्पल कम से कम 1 किलो भेजें।

D. Bharti

निविदादाता के हस्ताक्षर _____

नियम व शर्त :-

1. सभी निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के नाम होनी चाहिए। खुला निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. केन्द्रीय क्रय अधिकारी/अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति को यह अधिकार सुरक्षित है कि निविदा का कोई अंश अथवा समस्त भाग निरस्त कर सकते हैं। उसके लिये कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है।
3. उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. टेण्डर में कटिंग व ओवर राइटिंग न करें, कटिंग होने पर दोबारा साफ-साफ लिख कर अपने हस्ताक्षर करें।
अन्यथा टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है।
5. ठेका एक से अधिक ठेकेदारों को दिया जा सकता है।
6. दरें दिनांक 01.04.2025 से 31.05.2025 तक के लिए मान्य होंगी।
7. ठेका बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
8. आपूर्ति न कर पाने या आपूर्ति स्वीकृत सैम्पल के अनुसार न कर पाने की दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है तथा अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
9. खाद्य पदार्थों की दरें खाद्य पदार्थों को संस्थान की मैसों तक पहुंचाने व सभी करों सहित होनी चाहिए।
10. निविदा में दी गई खाद्य पदार्थों की मात्रा अनुमानित है तथा यह मात्रा 25% तक घट या बढ़ सकती है।
11. खाद्य पदार्थों का ठेका सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों (आजाद, सरोजिनी एवं विज्ञान भवन) के लिए मान्य होगा।
12. ठेकेदार को सामान की आपूर्ति सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों (आजाद, सरोजिनी एवं विज्ञान भवन) में उनकी आवश्यकतानुसार समय पर करनी होगी।
13. बिल का भुगतान सम्बन्धित मैसों द्वारा किया जायेगा। भुगतान हेतु बिल सामान के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा।
15. निविदा के साथ फूड लाइसेंस (FSSAI) की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा कोटेशन अमान्य होगा।
16. सप्लायर द्वारा निविदा में दी गई दरों को स्वीकृत किए जाने पर 01.04.2025 से 31.05.2025 के मध्य दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा।
17. निविदा के साथ की खाद्य वस्तुओं के सैम्पल उपलब्ध कराना आवश्यक है, बिना सैम्पल की निविदा को अस्वीकृत किया जाएगा। सैम्पल की मात्रा कम से कम 500 ग्राम होनी चाहिए। स्वीकृत सैम्पल को सी0सी0बी0 द्वारा रख लिया जाएगा जिसका सी0सी0बी0 द्वारा भुगतान किया जाएगा। अस्वीकृत सैम्पल सप्लायर दिनांक 31.03.2025 तक अवश्य वापस ले लें।
18. संस्थान की मैसों में आपूर्ति करने हेतु आने-जाने के लिए संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा तथा प्रवेश हेतु पास बनवाने की प्रक्रिया सप्लायर द्वारा किया जाना होगा।
19. खाद्य सामग्री की दरें निविदा प्रपत्र में दिए गए ब्रांड्स के लिए ही भरें। जिन खाद्य पदार्थों के ब्रांड निविदा में नहीं दिए गए हैं उनके लिए ब्रांड का उल्लेख करें।

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर _____

दिनांक: _____

D. Bhakhat
केन्द्रीय क्रय अधिकारी
भवन समन्वय समिति